पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1222
दिनांक- 20.07.2026

जोन-उत्तरी / थाना- बी0के0टी0

- **थाना बी0के0टी0 पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु प्रकरण में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.07.2026 को मृतका के भाई धीरज गौतम पुत्र स्व0पुत्तीलाल, निवासी ग्राम भिटहरी, पोस्ट गोयला, थाना चिनहट, लखनऊ द्वारा तहरीर दिया कि उनकी बहन प्रीति गौतम की हत्या कर उसके पति सहित ससुराल पक्ष द्वारा उसके शव को फांसी पर लटका दिया गया। वादी की तहरीर के आधार पर थाना बक्शी का तालाब पर मु0अ0सं0 281/2026 धारा 352/351(3)/85/80(2) बीएनएस 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम (डीपी एक्ट) बनाम पति अरून पुत्र जंगबहादुर आदि के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। मुकदमे की विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी द्वारा संपादित की जा रही है।

आज दिनांक 20.07.2026 को थाना बीकेटी पुलिस टीम द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त, बीकेटी के आदेशानुसार अभियुक्त की तलाश एवं गिरफ्तारी के क्रम में मुखबिर की सूचना पर नगुवामऊ कला अंडरपास, रिंग रोड के पास से अभियुक्त अरून पुत्र जंगबहादुर, निवासी ग्राम नगुवामऊ कला, थाना बीकेटी, लखनऊ, उम्र लगभग 19 वर्ष को दिनांक 20.07.2026 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के समय अभियुक्त की जामा तलाशी में ₹250/-नगद बरामद हुए, अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण कराकर उसे नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अरून पुत्र जंगबहादुर, उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी ग्राम नगुवामऊ कलां, थाना बीकेटी लखनऊ, व्यवसाय– खेती/मजदूरी।

03-अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 281/2026 धारा 352/351(3)/85/80(2) बीएनएस 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम (डीपी एक्ट) थाना बीकेटी, लखनऊ

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 अभिमन्यू शाह
2. का0 सचिन कुमार
3. का0 पंकज कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1220
दिनांक-20.07.2026

जोन-पूर्वी / थाना-चिनहट

- **थाना चिनहट पुलिस द्वारा वादी के भाई का अपहरण करने के आरोपी 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 19.07.2026 को पंजीकृत मु0अ0सं0-387/2026धारा-140(1)बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त समीर पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ उम्र 22 वर्ष को डुडा कालोनी हरदाशी खेड़ा थाना चिनहट लखनऊ से हिरासत पुलिस में लेकर गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

02- कार्यवाही का विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 02.06.2026 को गुलफाम अहमद 22 वर्ष के गुम हो जाने के संनब्ध में गुमशुदगी संख्या-86/26 पंजीकृत होकर जांच उ0नि0 रितेश सिंह को सुपुर्द की गयी। जिसमें दिनांक 19.07.2026 को वादी इस्तीयाक अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी ग्राम ज्ञानीपुर थाना शिवगण जिला सुल्तानपुर उम्र करीब 30 वर्ष के द्वारा वादी के भाई गुलफाम अहमद 22 वर्ष का अपहरण हो जाने के सम्बन्ध पुनः तहरीर के आधार पर गुमशुदगी को तरमीम करते हुए मु0अ0सं0- 387/26 धारा-140(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 रितेश सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

उच्चाधिकारीगण द्वारा घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से अपहरण गुलफाम अहमद की बरामदगी/अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठन की गयी। गठित टीमों द्वारा अभियुक्त समीर उपरोक्त को संदिग्ध पाये जाने पर पूछताछ की गयी तो समीर उपरोक्त द्वारा बताया गया है कि गुलफाम अहमद से सीएनसी पम्प पर गाड़ी आगे बढ़ाने को लेकर बहसबाजी हुई जिसमें आदिल, साहिल और एक अन्य अज्ञात व मेरे द्वारा उसको गाड़ी में जबरन ले जाया गया तथा उसके साथ मारपीट करके बाराबंकी देवा रोड़ के पास कही सड़क पर फेंक दिया गया। गुलफाम अहमद कहा है ये मुझे पता नही है। उपरोक्त घटना में संलिप्त पाये जाने पर उपरोक्त समीर पुत्र मो0हनीफ निवासी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ 22 वर्ष को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया। तथा गठित टीमों द्वारा लगातार गुलफाम अहमद की तलाश की जा रही है तथा शेष बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.समीर पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-387/26 धारा-140(1) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ।

आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्र0नि0 श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा थाना चिनहट जनपद लखनऊ
2. उ0नि0 रितेश सिंह थाना चिनहट जनपद लखनऊ।
3. उ0नि0 अभय कुमार सिंह थाना चिनहट जनपद लखनऊ
4. हे0का0 गजेन्द्र प्रताप सिंह थाना चिनहट जनपद लखनऊ
5. का0 आशुतोष सिंह थाना चिनहट जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1221
दिनांक-20.07.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा मोबाइल स्नैचिंग की दो घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए तीन बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया गया।**
- **लूटे गये 02 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद मो0सा0 बरामद ।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.07.2026 को थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मुखबिर की सूचना पर समय लगभग 03:42 बजे, जानकी प्लाजा सर्विस रोड पर जानकी प्लाजा के निकट, थाना गुडम्बा, कमिश्नरेट लखनऊ से तीन संदिग्ध बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया गया।

तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 02 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुए, जो थाना गुडम्बा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 283/2026 एवं मु0अ0सं0 284/2026 धारा 304(2) बीएनएस से संबंधित पाए गए। **बरामदगी के आधार पर दोनों अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।**

पूछताछ में बाल अपचारियों द्वारा दिनांक 03.07.2026 को थाना गुडम्बा क्षेत्र में महिलाओं से मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं करना स्वीकार किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल संख्या UP41AF1974 भी मौके से बरामद हुई, जिसके संबंध में कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने पर उसे धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया। संरक्षण में लिये गये बालअपचारीगण को नियमानुसार बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है।

02-बाल अपचारियों से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में बाल अपचारियों द्वारा बताया गया कि उन्होंने दिनांक 03.07.2026 की रात्रि में मोटरसाइकिल से थाना गुडम्बा क्षेत्र में दो अलग-अलग महिलाओं से मोबाइल फोन छीनने की घटनाओं को अंजाम दिया था। प्रथम घटना में एक महिला से मोबाइल छीनने के उपरान्त वे वहां से चले गये तथा उसी रात्रि पुनः लौटकर दूसरी महिला से भी मोबाइल फोन छीन लिया। बरामद दोनों मोबाइल वही हैं जो उक्त घटनाओं में छीने गये थे। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल का प्रयोग मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं में किया जाता था।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 283/2026 धारा **304(2)/317(2) बीएनएस**, थाना गुडम्बा, कमिश्नरेट लखनऊ।
2.मु0अ0सं0 284/2026 धारा **304(2)/317(2) बीएनएस**, थाना गुडम्बा, कमिश्नरेट लखनऊ।

04- बाल अपचारीगण संरक्षण में –

1. बाल अपचारी 16 वर्ष
2. बाल अपचारी 16 वर्ष
3. बाल अपचारी 17 वर्ष

05-बरामदगी-

- 01 अदद एंड्रॉयड मोबाइल **VIVO T4X 5G**, रंग बैंगनी सम्बन्धित **मु0अ0सं0 283/26**
- 01 अदद एंड्रॉयड मोबाइल **OPPO F13 5G**, रंग डार्क ब्लू सम्बन्धित **मु0अ0सं0 284/26**
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल संख्या **UP41AF1974** (धारा 207 एम.वी. एक्ट के अन्तर्गत सीज)।

06- अनावरण करने वाली टीम थाना गुडम्बा लखनऊ-

1. SHO श्री अंजनी कुमार मिश्र
2. उ0नि0 श्री शिव शंकर
3. उ0नि0 श्री दिग्विजय यादव
4. हे0का0 राजन त्रिपाठी
5. का0 कृष्णा चौधरी
6. का0 हर्षराज पाण्डेय

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1223
दिनांक-20.07.2026

जोन-उत्तरी/थाना- इटौंजा

- **थाना इटौंजा पुलिस द्वारा दहेज हत्या की घटना से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.07.2026 को थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा श्री पवन कुमार कश्यप पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी मछली मण्डी सीतापुर कोतवाली नगर जनपद सीतापुर द्वारा एक किता प्रार्थना पत्र बावत ससुरालीजन द्वारा वादी की पुत्री (हिमांशी) उम्र करीब 26 वर्ष को दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताडित करते हुए मारपीट करना तथा वादी की पुत्री की हत्या कर लाश को गायब कर देने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 99/2026 धारा 80/85/238/3(5) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1. (पति) प्रदीप गौड पुत्र श्रीराम गौड, 2. (सास) सुनिता पत्नी श्रीराम गौड, 3. (ससुर) श्रीराम गौड पुत्र अज्ञात, 4. (जेठ) संदीप गौड पुत्र श्रीराम गौड, 5. (ननद) प्रीती पत्नी अज्ञात, 6. (ननद) राखी पत्नी अज्ञात, 7. (प्रिति का बेटा) शिवा उर्फ लकी पुत्र अज्ञात समस्त निवासीगण मूल पता विरसिघपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर, हाल पता मालरोड़ आरा मशीन के पीछे तुर्की थाना इटौंजा लखनऊ पंजीकृत किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

घटना की गम्भीरता को देखते हुये घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारी गण के आदेश निर्देश के क्रम में एवं सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी लखनऊ की हुकुम तहरीरी के अनुपालन मे टीमों का गठन किया गया।

गठित पुलिस टीम द्वारा मुखविर खास की सूचना के आधार पर **दिनांक 17.07.2026 को अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित नामित अभियुक्तों** 1. प्रदीप कुमार पुत्र श्रीराम उम्र करीब 35 वर्ष 2. सुनीता पत्नी श्रीराम उम्र करीब 57 वर्ष 3. राखी पुत्री श्रीराम **निवासीगण** मूल पता विरसिंहपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर, हाल पता मालरोड़ आरा मशीन के पीछे तुर्की थाना इटौंजा लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष को थाना क्षेत्र इटौंजा से गिरफ्तार कर **पूर्व मे दिनांक 17.07.2026 को जेल भेजा गया था।**

अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. श्रीराम पुत्र स्व0टहलू 2. प्रीती गौड़ पत्नी रामशंकर गौड़ 3. शिवा गौड़ पुत्र रमाशंकर गौड़, समस्त निवासीगण मूल पता विरसिंहपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर, हाल पता मालरोड़ आरा मशीन के पीछे तुर्की थाना इटौंजा लखनऊ को दिनांक 19.07.2026 को मुखिबर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र इटौंजा से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया। अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानों व जनपदों से जानकारी की जा रही है।

03-अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगण द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुये अपनी सफाई माननीय न्यायालय मे देना बताया गया।

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

01- मु.अ.सं. 99/2026 धारा 80(2)/85/238/3(5) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना इटौंजा, लखनऊ।

05-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. श्रीराम पुत्र स्व0टहलू निवासी मूल पता विरसिंहपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर, हाल पता मालरोड़ आरा मशीन के पीछे तुर्की थाना इटौंजा लखनऊ उम्र करीब 60 वर्ष व्यवसाय - निल
2. शिवा गौड़ पुत्र रमाशंकर गौड़ निवासी मूल पता विरसिंहपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर, हाल पता मालरोड़ आरा मशीन के पीछे तुर्की थाना इटौंजा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष व्यवसाय- निल
3. प्रीती गौड़ पत्नी रामशंकर गौड़ निवासी मूल पता विरसिंहपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर, हाल पता मालरोड़ आरा मशीन के पीछे तुर्की थाना इटौंजा लखनऊ उम्र करीब 37 वर्ष व्यवसाय- निल

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. व0उ0नि0 श्री ऋषिदेव तिवारी थाना इटौंजा लखनऊ
2. उ0नि0 नरेन्द्र कुमार भारती थाना इटौंजा लखनऊ
3. उ0नि0 रमेश सिंह यादव थाना इटौंजा लखनऊ
4. म0उ0नि0 सारिका गुप्ता थाना इटौंजा लखनऊ
5. का0 रजत सिंह थाना इटौंजा लखनऊ
6. का0 दीपक तोमर थाना इटौंजा लखनऊ
7. म0हे0का0 कुसुमलता थाना इटौंजा लखनऊ
8. म0का0 दीपा थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1224
दिनांक-20/07/2026

जोन-उत्तरी/थाना- मलिहाबाद

- **थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंटों (NBW) के अनुपालन में थाना मलिहाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 19.07.2026 को थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग तथा वारण्टी अपराधियों की तलाश के दौरान थाना क्षेत्र के ग्राम नया खेड़ा, कसमण्डी कला में दबिश देकर 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों में प्रथम वारण्टी सोनू यादव पुत्र रघुनन्दन व द्वितीय वारण्टी रघुनन्दन यादव पुत्र स्व0 नन्कहऊ के विरुद्ध माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम./जे.डी. कोर्ट नं0-34, लखनऊ द्वारा मु0अ0सं0- 249/22, केस सं0-139671/22, धारा 498ए/323/504 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना मलिहाबाद, लखनऊ से सम्बन्धित गैर जमानती वारंट निर्गत किया गया था, जिन्हें उनके निज आवास ग्राम नया खेड़ा, कसमण्डी कला से दिनांक 19.07.2026 को समय करीब 18:15 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टियों को वारंट से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा उनके परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गयी। गिरफ्तारी की कार्यवाही के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया। अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरान्त माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-संबंधित वाद सं0-

1. मु0अ0सं0-249/22, केस सं0-139671/22, धारा 498ए/323/504 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ।

03-गिरफ्तार वारण्टी / अभियुक्तों का विवरण-

1. सोनू यादव पुत्र रघुनन्दन, निवासी ग्राम नया खेड़ा, कसमण्डी कला, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 34 वर्ष, (व्यवसाय – कृषि/मजदूरी)
2. रघुनन्दन यादव पुत्र स्व0 नन्कहऊ, निवासी ग्राम नया खेड़ा, कसमण्डी कला, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 59 वर्ष। (व्यवसाय – कृषि/मजदूरी)

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 शनि तोमर, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 अनिल कुमार गौतम, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. म0का0 ललिता सिंह, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।